

Conduct of Election Rules, 1961

(Statutory Rules Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

***Election to the legislative Assembly from the 65- ALWAR RURAL constituency**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representative of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI TIKA RAM JULLY Address- **101, ORCHID RESIDENCY, MOTI DOONGARI DIST- ALWAR**
[sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** (name of the recognised/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Score out, if inappropriate.

[NEELABH SAXENA (IAS)]

RETURNING OFFICER

SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE

ALWAR ASSEMBLY CONSTITUENCY

ALWAR RURAL (065)

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

65-अलवर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण,में, मैं घोषणा करता हूं कि -
श्री टीकाराम जूली पता 101 आरचिड रेजीडेन्सी, मोती डूंगरी, अलवर (राज०)
(पता (जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़ किए गए / की गई) उपयुक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस एदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं

स्थान - अलवर

तारीख - 11-12-2018

नीलाभ सक्सेना (IAS)
रिटर्निंग अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर
विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण (065) अनुसूचित जाति